हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
3/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। वकील वादी को मूल वाद अबेट हो चुका है अतः वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है विस्तृत आदेश। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकार बीदासर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू राजस्थान

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 80/2015

सरोजदेवी पुत्री स्व0 लिछमादेवी पुत्री स्व0 बद्रीप्रसाद पत्नी सुरेश जाति बागड़ा निवासीनी विश्वकर्मा भवन के पास वार्ड नंबर 19 सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.... वादीनी

बनाम

1. श्रीमती बिदामीदेवी पत्नी स्व0 हुलासमल जाति बागड़ा निवासी कस्बा वार्ड नंबर 03 सुजानगढ राजस्थान
2. विनोद पुत्र स्व0 हुलासमल जाति बागड़ा निवासी कस्बा वार्ड नंबर 03 सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
3. श्रीमती मायादेवी पुत्री स्व0 हुलासमल पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति बागडा निवासीनी कस्बा वार्ड नंबर 03 सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
4. श्रीमती चन्दादेवी पुत्री स्व0 हुलासमल पत्नी सुरेश कुमार जाति बागडा निवासीनी कस्बा वार्ड नंबर 19 सुजानगढ जिला चूरू
5. सूरजमल पुत्र स्व0 भंवरलाल उर्फ भंवरूराम जाति बागड़ा निवासी कस्बा सुजानगढ हाल ढाणी रोही डूंगरास आथूणा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
6. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 भंवरलाल उर्फ भंवरूराम जाति बागडा निवासी कस्बा सुजानगढ हाल ढाणी रोही डूंगरास आथूणा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
7. नन्दलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल उर्फ भंवरूराम जाति बागडा निवासी कस्बा वार्ड नंबर 19 सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
8. रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल उर्फ भंवरूराम जाति बागडा निवासी कस्बा वार्ड नंबर 19 सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
9. इन्द्रचंद पुत्र स्व0 गणेशमल जाति बागडा निवासी कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
10. श्रीमती सुंदर पुत्री स्व0 गणेशमल पत्नी सुरेशकुमार जाति बागडा निवासीनी जसवंतगढ तहसील लाडनूं जिला नागौर राजस्थान
11. श्रीमती मुन्नीदेवी पुत्री स्व0 गणेशमल पत्नी बुधमल जाति बागडा निवासीनी कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
12. श्रीमती रूकमणीदेवी पुत्री स्व0 भंवरलाल उर्फ भंवरूराम पत्नी पृथ्वीराज जाति बागडा निवासीनी वार्ड नंबर 19 सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
13. श्रीमती फूलादेवी पुत्री स्व0 भंवरलाल उर्फ भंवरूराम पत्नी बंशीलाल जाति बागडा निवासीनी लोसल जिला सीकर राजस्थान
14. श्रीमती राधादेवी पुत्री स्व0 भंवरलाल उर्फ भंवरूराम पत्नी महावीरप्रसाद जाति बागडा निवासी वार्ड नंबर 03 सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
15. चूरू सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक शाखा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान

.... प्रतिवादीगण

17. गिरधारी पुत्र स्व0 लिछमादेवी पत्नी बद्रीप्रसाद जाति बागडा निवासी कस्बा वार्ड नंबर 03 सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.... गौण प्रतिवादी

राजस्व वाद घोषणात्मक,राजस्व रेकार्ड
में संशोधन वभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा

उपस्थिति

1. श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट वास्ते वादीनी
2. श्री बजरंगसिंह एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

:— निर्णय :—

दिनांक 3-9-2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय में वादीनी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,92 ए,53,188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पुराना खसरा नंबर 40 तादादी 20 बीघा 19 बिश्वा खसरा नबर 41 तादादी 70 बीघा 13 बिश्वा जिसके हाल खसरा नंबर 57 तादादी 20 बीघा 19 बिश्वा व खसरा नबर 59 तादादी 38 बीघा 12 बिश्वा व खसरा नबर 63 तादादी 27 बीघा वाके रोही डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 के विरूद्व पेश किया। दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 7 नंदलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल उर्फ भंवरूराम जाति बागडा निवासी वार्ड नंबर 19 सुजानगढ का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् वादीनी ने एक प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया। प्रार्थनापत्र में वर्णित किया कि प्रतिवादी संख्या 7 नन्दलाल पुत्र भंवरलाल उर्फ भंवरूराम का स्वर्गवास हो चुका है प्रतिवादी नंदलाल के उतराधिकारी/वारिस निम्न है। 1. श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नी नंदलाल 2. पंकजकुमार पुत्र नंदलाल 3. हेमलता पुत्री स्व0 नंदलाल जाति बागडा निवासीगण वार्ड नंबर 19 सुजानगढ जिला चूरू जो मौजूद है हीरालाल पुत्र स्व0 नंदलाल. जाति बागडा पुत्र अविवाहित लाऔलाद फौत हो गया पूनमदेवी पुत्री नंदलाल पुत्री विवाहित फौत उपरोक्त अनुवानी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 स्व0 नंदलाल की जगह प्रतिवादी के वारिसान का हित निहित है अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 7 के आगे स्वर्गीय शब्द एवं नंदलाल फौत के वारिसान के आगे स्वर्गीय शब्द अंकित करवाने एवं वारिसान को बतौर प्रतिवादी संयोजित कर संशोधित शीर्षक दावा प्रस्तुत करने के आदेश अता फरमावे। यह प्रार्थनापत्र वादीनी ने न्यायालय में दिनांक 20.1.2020 को पेश किया जिसका जबाब प्रतिवादीगण की ओर से व नंदलाल के वारिसान की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी पढी लिखी व कानून की जानकारी रखने वाली महिला है जिसने अपने प्रार्थनापत्र में यह कहीं अंकित नहीं किया कि नंदलाल का स्वर्गवास किस दिनांक को हुआ व किस स्थान पर हुआ। वादीनी व नंदलाल प्रतिवादी संख्या 7 का मकान एक ही गली व मौहल्ले में है वादीनी को प्रतिवादी संख्या 7 के स्वर्गवास होने के दिन से ही पूर्ण जानकारी थी। प्रतिवादी संख्या 7 का स्वर्गवास दिनांक 31.12.2016 को जांगिड़ भवन के सामने वार्ड नंबर 18 में अपने निवास स्थान पर हुआ था। वादीनी कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र मान्य न्यायालय में दिनांक 20.1.2020 को पेश किया है जो अत्यधिक देरीना है। कानून में यह स्पष्ट प्रावधान है कि मृत्यु की दिनांक से 90 दिन के भीतर कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र पेश करना होता है यदि 90 दिन के भीतर प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया जाता है तो दावा स्वतः ही अबैट हो जाता है। वादीनी ने न तो दावे पर आये हुये अबैटमेन्ट को सेट एसाइड करने के लिए कोई प्रार्थनापत्र पेश किया है एवं न ही प्रार्थनापत्र कायम मुकाम पेश करने में जो देरी हुई है उसको माफ करवाने का दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि वादीनी का प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. अत्यधिक देरीना होने तथा देरी माफ हेतु कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करने व दावे पर आये अबैटमेन्ट को सेट एसाईड करवाने का कोई प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है इसलिए वादीनी का वाद अबैटमेन्ट के आधार पर खारिज फरमाया जावे। वादीनी ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जबाब प्रस्तुत करने के पश्चात् दिनांक 19.9.2022 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें वादीनी ने अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 7 नंदलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल उर्फ भंवरूराम बागडा निवासी वार्ड नंबर 19 सुजानगढ की मृत्यु की जानकारी मुझ प्रार्थीया को स्वर्गवास के कुछ समय बाद ही हो गई थी लेकिन तत्समय कोरानाकाल चरम पर चल रहा था लॉक डाउन लगा होने के कारण न्यायालय कीं कार्यवाहियां भी सुचारू रूप से नहीं चल रही थी

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

तथा मेरे अधिवक्ता से प्रोपर सम्पर्क नहीं होने के कारण मैं अपने अधिवक्ता को समय पर प्रतिवादी ख्या 7 के स्वर्गवास की जानकारी नहीं दे पाने के कारण कायम मुकाम करवाने का प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। श्रीमान्जी मैं घरेलू महिला हूँ तथा घर के कामकाज में वयस्त रहने के कारण एवं कानूनी बारिकियों की जानकारी नहीं होने के कारण न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष कायम मुकाम प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के समय प्रार्थनापत्र भूलवश मेरे द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका अतः प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन है कि महिलाजात होने के कारण एवं कानूनी जानकारी का अभाव होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गयौ उक्त प्रार्थनापत्र प्रार्थना स्वीकार कर क्षमा स्वीकार करते हुए प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर दावा में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने के आदेश अता फरमावे।

वादीनी के प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रतिवादीगण की ओर से जबाब मय शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण ने वादीया के प्रार्थनापत्र में दफा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को गलत एवं मिथ्या तथा बनावटी बताते हुए इनकार किया है एवं प्रतिवादीगण ने अपने जबाब प्रार्थनापत्र में अंकित किया है कि वादीया पढी लिखी व कानून की जानकारी रखने वाली महिला है जिसने अपने प्रार्थनापत्र में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि नंदलाल का स्वर्गवास किस दिनांक को व किस स्थान पर हुआ वादीनी एव स्व0 नंदलाल एक ही मौहल्ले व गली के है वादीनी को प्रतिवादी संख्या 7 नंदलाल के स्वर्गवास के दिन से ही पूर्ण ज्ञान था नंदलाल का स्वर्गवास दिनांक 31.12.2016 को जांगिड भवन के सामने उसके निवास स्थान हुआ था। नंदलाल के स्वर्गवास के समय कोई कोरोना काल नहीं चल रहा था राजस्थान में कोरोना कॉल को लेकर प्रथम लॉक डाउन दिनांक 25.3.2021 को लगा था उससे पहले कोरोनां काल नहीं था कोरोना का दुनियां में सर्व प्रथम नवम्बर 2019 में ज्ञान में हुआ था। उससे पहले कोरोना नाम की बीमारी का दुनिया में किसी को पता ही नहीं था इसलिए वादीया का यह कहना कि उस समय कोरोना काल चरम पर चल रहा था लॉक डाउन लगा होने के कारण न्यायालय की कार्यवाहीयां सुचारू रूप से नहीं चल रही थी तथा अधिवक्ता से प्रोपर सम्पर्क नहीं होने के कारण स्वर्गवास की जानकारी नहीं दे पाने के कारण कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका बिल्कुल गलत एवं मिथ्या तथा काल्पनिक होने के कारण किसी भी प्रकार से मानने योग्य नहीं है। वादीया ने न्यायालय श्रीमान् में प्रार्थनापत्र कायम मुकाम दिनांक 20.1.2020 को पेश किया उसके साथ कोई दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया। वादीया के वकील साहब ने जब प्रार्थनापत्र कायम मुकाम का पेश किया था उस समय वादीया को अवश्य ही जानकारी दी होगी कि कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र पेश करने में देरी हो गई इसलिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थीया का यह कहना कि घर के काम में वयस्त होने तथा कानूनी की जानकारी नहीं होने के कारण भूलवश मियाद का प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया जा सका बिल्कुल ही गलत एवं मिथ्या तथा बनावटी होने के कारण किसी भी प्रकार से मानने योग्य नहीं है। वादीया के प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जबाब प्रतिवादीगण द्वारा काफी समय पूर्व मान्य न्यायालय में पेश किया जा चुका है। तथा पत्रावली बहस प्रार्थनापत्र में काफी समय से जैरकार है। जब हम प्रतिवादीगण ने दफा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में जबाब में ऐतराज किया उसके बाद कानूनी कमी को पूरा करने का वादीनी का यह असफल प्रयास है। कानून में यह स्पष्ट प्रावधान है कि मृत्यु की दिमांक से 90 दिन के भीतर कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक है यदि प्रार्थनापत्र 90 दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दावा स्वतः ही अबैट

लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

हो जाता है। वादीया ने न तो दावे पर आये हुये अबेटमेन्ट को सेट एसाईड करवाने के लिए कोई प्रार्थनापत्र पेश किया है। वादीया ने यह प्रार्थनापत्र 5 वर्ष 10 माह बाद अत्यधिक देरीना पेश किया है। जिसमें वादीया ने प्रार्थनापत्र पेश करने में देरी का कोई पर्याप्त स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है न ही असामान्य देरी को सन्तुष्टीजनक ढंग से स्पष्ट किया व न ही विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पुख्ता एवं पर्याप्त कारण अंकित किया है। वादीया प्रार्थनापत्र कायम मुकाम व दफा 5 मियाद अधिनियम पेश करने में घोर लापरवाह व उदासीन रही है। क्योंकि विधायिका ने मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने बाबत समयावधि के जिस उद्देश्य को परिभाषित किया है उसका इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से उपहास हुआ है। देरी माफी के प्रार्थनापत्र में देरी किस प्रकार से हुई उसका प्रत्येक दिन का उल्लेख पुख्ता व पर्याप्त कारण अंकित किया जाना आवश्यक है। वादीया ने मियाद प्रार्थनापत्र में जिस अवधि को क्षमा किया जाना है इस बाबत अवधि का भी उल्लेख नहीं किया है तथा न ही दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र को देरी से पेश किया उसका उल्लेख किया है। तथा न ही प्रार्थनापत्र कायम मुकाम व प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र पेश किये जाने में हुई देरी को क्षमा करने का निवेदन किया है प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम विधिक प्रकिया के तहत पेश नहीं किये जाने के कारण खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रतिवादी ने नंदलाल की मृत्यु की सूचना दिनांक 8.7.2019 को व प्रतिवादी संख्या 8 रामेश्वरलाल की मृत्यु की सूचना 28.8.2023 को न्यायालय में दे दी थी। वादीनी ने रामेश्वरलाल के वारिसान को रेकार्ड पर लेने का कोई प्रार्थनापत्र आज तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है रामेश्वरलाल की मृत्यु की सूचना न्यायालय द्वारा वादीनी व उसके वकील को आज से करीबन 2 साल पहले हो जाने के बावजूद भी आज तक कोई प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया गया है। वकील प्रतिवादीगण ने बहस के दौरान नंदलाल व रामेश्वरलाल के मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किये जिनमें नंदलाल की मृत्यु दिनांक 31.12.2016 को व रामेश्वरलाल की मृत्यु दिनांक 25.5.2023 को होना अंकित है। प्रतिवादीगण के वकील ने अपनी बहस में यह जाहिर किया कि रामेश्वरलाल प्रतिवादी संख्या 8 की मृत्यु की सूचना न्यायालय में दिनांक 28.8.2023 को देने के उपरान्त भी आज तक वादीनी की ओर से स्व0 रामेश्वरलाल के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का कोई प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है इसलिए वादीनी का वाद पूर्णतया अबैट हो चुका है जिसको अबैट किया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का गहन परीक्षण किया गया।

प्रतिवादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2021 (1) पेज 482 भंवरसिंह बनाम मोहनसिंह आदि माननीय राजस्व मंडल अजमेर की डबल बेन्च का पेश किया वादीनी की ओर से कोई न्यायिक दृष्टान्त पेश नहीं किया गया। प्रतिवादीगण के वकील ने न्यायालय में नंदलाल व रामेश्वरलाल के मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किये जिनमें नंदलाल की मृत्यु की दिनांक 31.12.2016 व रामेश्वरलाल की मृत्यु दिनांक 25.5.2023 अंकित है एवं दोनों का स्वर्गवास कस्बा सुजानगढ में होना अंकित है। इस प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के शीर्षक का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष एक ही वार्ड व मौहल्ले के निवासी होने के कारण वादीया को उनके स्वर्गवास की जानकारी उसी समय हो गई थी। वादीया ने प्रतिवादी संख्या 7 नंदलाल के देहान्त के बाद उसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने बाबत न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.1.2020 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया तथा वादीया के प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 का जबाब प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत करने के काफी समय बाद वादीनी ने दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश किया है। वादीनी ने अपने दावा में आये हुये अबेटमेन्ट सेट एसाईड का कोई प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है तथा प्रतिवादी

लगातार 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

संख्या 8 रामेश्वरलाल के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का कोई प्रार्थनापत्र वादीनी ने न्यायालय में पेश नहीं किया है। सर्व प्रथम मियाद अधिनियम का विधि द्वारा विश्लेषण किया जिसमें वादीया ने अपने प्रार्थनापत्र में मृतक की मृत्यु दिनांक व स्थान के बारे में कोई अंकन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त मियाद प्रार्थनापत्र में जिस अवधि को क्षमा किया जाना है इस बाबत अवधि का भी उल्लेख भी नहीं किया है। वादीया ने अपने प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 7 के स्वर्गवास की मुझ वादीया को कुछ समय बाद ही जानकारी हो गई थी लेकिन उस समय कोरोना काल चरम पर चल रहा था तथा लॉक डाउन लगा हुआ होने के कारण न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किये जा सके। मृत्यु प्रमाणपत्र के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि नंदलाल का स्वर्गवास दिनांक 31.12.2016 को हो गया था। राजस्थान में कोरोना काल दिनांक 20.1.2020 तक नहीं था यह सर्व विदित है। वादीया द्वारा पेश मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्य मानने योग्य नहीं होने के कारण तथा वादीया का प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम विधिक प्रक्रियाओं के तहत पेश नहीं किये जाने के कारण उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से ससम्मान मार्ग दर्शन प्राप्त किया न्यायिक दृष्टान्त से इस प्रकरण में जो तथ्य प्रतिवादीगण ने प्रकट किये है उनका ही समर्थन होता है।

वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 में प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु की दिनांक व स्थान अंकित नहीं है प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणपत्र में मृतक नंदलाल की मृत्यु दिनांक 31.12.2016 को स्थान कस्बा सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू में हुआ है। दौराने दावा पक्षकार की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने की समयावधि 90 दिन निर्धारित की गई है। इस प्रकरण में वादीया ने प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का दिनांक 20.1.2020 को न्यायालय में पेश किया है। इस प्रकार निर्धारित समयावधि में क़ायम मुकाम की कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में मूल वाद स्वतः ही उपशमित हो जाता है इस प्रकरण में वादीया ने प्रतिवादी संख्या 8 रामेश्वरलाल के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेने का कोई प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है। तथा न ही इस प्रकरण में वादीया ने दावे पर आये हुये उपशमन को निरस्त करने का कोई प्रार्थनापत्र पेश किया किया है। वादीया ने दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में जो तथ्य अंकित किये है वो किसी भी प्रकार से मानने योग्य नही होने के कारण वादीया का दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है। ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. संधारण योग्य नहीं माना जा सकता वादीनी ने अपने वाद की मद संख्या 6 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 के विरूद्व समान वादकरण उत्पन्न होना प्रकट किया और समान अनुतोष भी चाहा है। उक्त समस्त विवेचन के फलस्वरूप वादीनी का वाद उपशमित होने के कारण वादीनी के वाद को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तथा वादीनी का वाद उपशमित हो जाने के कारण वादीनी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3-4-2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित मुद्रांकित व दिनांकित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत अमीलाल यादव RAS व इजलास उपखण्ड अधिकारी बीदासर

सरोज देवी बनाम शिवानी देवी आदि

दावा घोषणात्मक, राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा

वाद संख्या 80/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री मो. शाहिद वकील वास्ते .... मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी श्री बजरंग सिंह एडवोकेट .... मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र O-22 R-4 सपठित धारा 151 CPC अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तथा वादिनी का वाद उपशमित हो जाने के कारण वादीनी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय अंतिम डिक्री जारी की गयी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार — को लिखा जावे।

चीज — मुबलिग — बाबत — खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक — को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03-9-2025

दस्तखत ....

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा ....

बीदासर

मुद्दई	रूपया	पै॰	मुद्दायलाई	रूपये	पै॰
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी